राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33 / प्रयो. सहा. / भर्ती सीधी–2013 / 2017 / 327 दिनांक : 07/11/17

आदेश

श्री योगेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री बुद्धराज पता– मकान नं0 220 / 11 दगडी भवन सिंधी तोपदडा अजमेर (राज0) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 1791 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 26.04.17 की पालना में पूरक परीक्षा के वास्तविक अंकों को जोडकर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का पारित आदेश दिनांक 26.04.17 का आपरेटीव पार्ट निम्न प्रकार से है:–

" In view of the above, the writ petition No. 1791/2017 too is disposed of in the same terms as pradeep Singh (supra). If, after assessing the marks of the petitioner as directed above, he stands in merit, then the necessary consequences shall follow."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 26.04.17 के परिपेक्ष में श्री योगेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री बुद्धराज ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती–2013 में ओबीसी वर्ग में ऑफलाईन आवेदन किया है। याचि / अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि 07.05.1967 है। अभ्यर्थी / याचि द्वारा अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर से जारी 9 माह का लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो राज्य सरकार से मान्य है। अभ्यर्थी के पूरक परीक्षा के वास्तविक अंकों को जोडते हुए सैकण्डरी प्राप्तांक 45.33 प्रतिशत है। जिसका 85 प्रतिशत वेटेज 38.53 प्रतिशत होता है तथा याचि / अभ्यर्थी ने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आमेट(राजसमन्द) से जारी दिनांक 10.02.2011 से 22.12.2011 तक लैब टेक्नीशियन पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो विज्ञप्ति के शर्त / नियमों के अनुरूप एक वर्ष से कम अवधि का एवं विभाग द्वारा अधिकृत संक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल कटऑफ 38.53 प्रतिशत बनती है। जबकि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रतिक्षा सूची मय पदस्थापन जारी दिनांक 27.04.16 में ओबीसी वर्ग की अन्तिम कटऑफ 38.82 प्रतिशत रही है। वरियता के आधार पर याचि / अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक पद पर चयन का पात्र प्रतित नहीं होता है।

अतः माननीय न्यायालय में पारित आदेश की पालना में याचि / अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33 / प्रयो. सहा. / भर्ती सीधी–2013 / 2017 / 327 दिनांक : 07/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. श्री के.एन. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधुपर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. श्री योगेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री बुद्धराज पता– मकान नं0 220 / 11 दगडी भवन सिंधी तोपदडा अजमेर (राज0) (रजिस्टर्ड)
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।